रामकी समूह, भारत में आईएफसी के निवेश के विषय में

आकलन रिपोर्ट

जुलाई 2008

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम/
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेन्सी हेतु
कंप्लायंस एडवाइजर/ऑम्बड्जमैन (अनुपालन सलाहकार/मध्यस्थ) कार्यालय
www.cao-ombudsman.org

विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षरों (ऐक्रोनिम्स) की सूची ii

1. प्रस्तावना 1

2. आकलन..... 2

3. निष्कर्ष..... 3

4. परिशिष्ट: सम्बन्धित शिकायत 4

संक्षिप्ताक्षरों (ऐक्रोनिम्स) की सूची

कंप्लायंस एडवाइजर/ऑम्बड्ज्मैन (अनुपालन सलाहकार/मध्यस्थ) कार्यालय	सीएओ
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	आईएफसी
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेन्सी	एमआईजीए
गैर-सरकारी संस्थान	एनजीओ
पर्यावरण सम्बन्धी आकलन	ईए
पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव का आकलन	ईआईए
पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक प्रभाव का आकलन	ईएसआईए

1. प्रस्तावना

कंप्लायंस एडवाइजर/ऑम्बड्समैन कार्यालय (सीएओ) विश्व बैंक समूह के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) से संबंधित मामलों में सहायता पाने का स्वतन्त्र संसाधन है। सीएओ सीधे विश्व बैंक समूह के प्रेसीडेंट को रिपोर्ट करता है, और इसका आदेशाधिकार (मेनडेट) आईएफसी और एमआईजीए की भूमिका वाली परियोजनाओं से प्रभावित लोगों से प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार, निष्पक्ष, और रचनात्मक ढंग से समाधान करने में सहायता करना तथा उन परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी परिणामों में वृद्धि करना है। पहले चरण में, शिकायतों का उत्तर सीएओ के ऑम्बड्समैन द्वारा दिया जाता है।

यह आकलन रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें शिकायत और उसमें उठाये गये मुद्दों के समाधान हेतु ऑम्बड्समैन प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है।

1.1 शिकायत

सीएओ को रामकी परियोजना के सम्बन्ध में क्रमश: अगस्त और सितम्बर 2005 में दो शिकायतें प्राप्त हुईं। उस समय, और हमारे मूल मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत, हमने शिकायतकर्ताओं से शिकायतों के निवारण के लिए सीधे आईएफसी के साथ और आगे कोशिश करने का अनुरोध किया। उनमें उठाये गये मुद्दे भारतीय न्यायालयों में विचाराधीन थे, और अभी अनिर्णीत थे। इस आधार पर सीएओ ने शिकायतों को बंद कर दिया।

तीसरी शिकायत अक्तूबर 14, 2007 को दर्ज की गयी थी जो मुम्बई के कॉर्पोरेट अकाउन्टेबिलिटी डेस्क के द्वारा भेजी गयी थी और बाद में जिसका समर्थन गुम्मिडिपूंडी गाँव के सरपंच सहित समुदाय के नेताओं के द्वारा अपने हस्ताक्षर करके किया गया था।

शिकायत गुम्मिडिपूंडी गाँव के नजदीक सिपकोट (SIPCOT) औद्योगिक क्षेत्र में रामकी समूह द्वारा संचालित ख़तरनाक कचरे के उपचार की एकीकृत फैसिलिटी की परिचालन सम्बन्धी क्रियाओं से सम्बन्ध रखती है। शिकायत में उठायी गयी विशिष्ट चिन्तायें निम्नलिखित थीं:

- स्थानीय समुदाय ने कम्पनी को कार्य जारी रखने के लिए संवैधानिक अनुमति नहीं दी है - स्थानीय पंचायत परियोजना के विरुद्ध प्रस्ताव जारी कर चुकी है;
- पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया दोष-पूर्ण थी - सार्वजनिक सुनवाईयों में अधूरा ईआईए पेश किया गया था;
- परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ताओं का मानना है कि परियोजना नगरपालिका के कानूनों और आईएफसी अधिनियमों का उल्लंघन करती है।

सीएओ ने प्रेसीडेंट, बोर्ड और जनसाधारण को 14 नवम्बर 2007 को सूचित किया कि यह शिकायत आकलन के लिए अपने पात्रता मापदंड को पूरा करती है। समुदाय के नेताओं से उनके शिकायत के समर्थन की पुष्टि प्राप्त की गयी।

1.2 परियोजना

आईएफसी ने 10 मई 2005 को आईएफसी परियोजना संख्या 23966 के सम्बन्ध में अपनी परियोजना सम्बन्धी जानकारी का सारांश बताया। इस जानकारी के अनुसार, आईएफसी ने रामकी समूह को (i) कम्पनी की कचरा प्रबन्धन इकाई को संभालने के लिए और पूरे भारत में बडी संख्या में कचरा प्रबन्धन इकाइयों (जिन्हें आरईईएल के रूप में जाना जाता है) की स्थापना हेतु आंशिक रूप से वित्तपोषण करने के लिए; तथा रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल), जो कि रामकी समूह की इन्फ्रास्ट्रक्चर (आवश्यक बुनियादी ढाँचा) के क्षेत्रों में कम्पनी के इंजिनियरिंग, प्रोक्योरमेंट (प्राप्ति), कंस्ट्रक्शन (निर्माण) सम्बन्धी ठेकों के कारोबार को संभालने वाली सहायक कम्पनी है, में निवेश के लिए यूएस $20 मिलियन (दो करोड़ अमेरीकी डॉलर) तक की धन राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। निवेश संशोधित परियोजना उद्देश्य के अन्तर्गत 11 जनवरी 2008 को किये गये। आरईईएल में वचनबद्ध निवेश का विचार त्याग दिया गया और आईएफसी आरआईएल में वचनबद्ध निवेश के केवल एक हिस्से के साथ आगे बढ़ी, हालांकि आरआईएल में इस निवेश का ढाँचा भी अब बदल चुका है।

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के सम्बन्ध में इस परियोजना को श्रेणी बी के रूप में निरूपित किया गया है।

2. आकलन

मुख्य पक्षों (प्रायोजक सहित) के साथ हुए पत्राचार, बैठकों और टेलीकॉन्फ्रेंस के ज़रिये सीएओ ऑम्बड्ज़्मैन की टीम को मालूम हुआ है कि:

- आईएफसी का मानना है कि 2005 में दर्ज की गयीं मूल शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है;
- आईएफसी ने कहा है कि वह अब गुम्मिडिपूंडी वाली इकाई के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर रहा है, बल्कि रामकी समूह के अन्दर ही अलग कारोबारों का वित्तपोषण कर रहा है;
- गुम्मिडिपूंडी वाली इकाई पूरी हो चुकी है और इसमें काम शुरू होने वाला है - हालांकि जनवरी 2008 के ईआरएस में इसे अभी भी सम्भावित तैयारी की अवस्था में दर्शाया गया है;
- न तो प्रायोजक और न ही शिकायतकर्ताओं का ऐसा मानना है कि इस समय पर और आगे चर्चा या समझौता-वार्ता मददगार होगी। दोनों पक्षों ने महसूस किया कि बातचीत करने के यथोचित प्रयास किये जा चुके हैं, और वर्तमान स्थिति को संयुक्त रूप से तथ्यों का पता लगाने, मध्यस्थता या विवाद हल करने के वैकल्पिक तरीको से सुधारा नहीं जा सकता था।

3. निष्कर्ष

मुख्य पक्षों और ऑम्बड्ज़्मैन के बीच हुए पत्राचार के आधार पर, हमारा निर्णय है कि इस शिकायत का इस समय एकमत समझौते के जरिये समाधान नहीं किया जा सकता है।

मार्च 31, 2008 को, सीएओ के परिचालन सम्बन्धी मार्गनिर्देशों के अनुरूप, यह शिकायत इस बात के मूल्यांकन के लिए अनुपालन कार्यालय को दे दी कि क्या प्रेसीडेंट और जनसाधारण को आईएफसी के द्वारा संबद्ध नीतियों का अनुपालन किये जाने के बारे में आश्वस्त किये जाने के लिए आईएफसी का ऑडिट आवश्यक है।